उत्तर प्रदेश शासन
चिकित्सा अनुभाग–5
संख्या–1298 /पाँच–5–2020
लखनऊ दिनाँकः 18 जून, 2020
कार्यालय–ज्ञाप

निजी क्षेत्र की प्रयोगशालाओं द्वारा कोरोना वायरस के संक्रमण की एकल चरण (Single Step) जांच हेतु कार्यालय ज्ञाप संख्या–939/पॉच–5–2020, दिनांक 23.04.2020 (प्रति संलग्न) द्वारा अधिकतम धनराशि निर्धारित किये जाने के संबंध में निम्नवत व्यवस्था की गयी है :–

निजी क्षेत्र की प्रयोगशालाओं द्वारा कोरोना वायरस के संक्रमण की एकल चरण (Single Step) जांच हेतु अधिकतम धनराशि रू0 2500/– (दो हजार पांच सौ मात्र) निर्धारित की जाती है। निजी प्रयोगशालाओं को गुणवत्ता आडिट हेतु मांगे जाने पर नमूनों को चिकित्सा महाविद्यालय की रेफरल प्रयोगशाला हेतु उपलब्ध कराना होगा। परीक्षण के पश्चात् आई0सी0एम0आर0 के पोर्टल पर रिपोर्ट दर्ज करने के अतिरिक्त संबंधित जिले के मुख्य चिकित्साधिकारी एवं स्टेट सर्विलान्स अधिकारी को रिपोर्ट की एक प्रति उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। निजी प्रयोगशालाओं द्वारा उक्त जांच हेतु रू0 2500/– से अधिक धनराशि लिया जाना एवं अन्य उल्लिखित प्राविधानों का अनुपालन न करना एपीडेमिक डिज़ीज एक्ट 1897 (यथा संशोधित) एवं उत्तर प्रदेश महामारी कोविड–19 विनियमावली–2020 के संगत प्राविधानों का उल्लंघन माना जाएगा।

2– तत्पश्चात स्पष्टीकरण आदेश संख्या–967/पांच–5–2020, दिनांक 26.04.2020 (प्रति संलग्न) द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि अधिकतम धनराशि रू. 2500/– की व्यवस्था केवल ऐसे रोगियों की कोविड–19 जांच हेतु निर्धारित की गयी है, जो राज्य सरकार के विहित प्राधिकारी द्वारा निजी क्षेत्र की प्रयोगशालाओं को सन्दर्भित किये जाएंगे।

3– तत्क्रम में सम्यक विचारोपरान्त एतद्द्वारा निजी क्षेत्र की प्रयोगशालाओं द्वारा कोरोना वायरस के संक्रमण की एकल चरण (Single Step) जांच हेतु अधिकतम धनराशि निम्नवत निर्धारित की जाती है:–

निजी क्षेत्र की प्रयोगशालाओं द्वारा कोरोना वायरस के संक्रमण की एकल चरण (Single Step) जांच हेतु अधिकतम धनराशि	
सरकारी या निजी चिकित्सालय द्वारा निजी प्रयोगशालाओं को प्रेषित सैम्पल की दर	रू. 2000/–(दो हजार रूपये मात्र)
निजी प्रयोगशालाओं द्वारा स्वयं एकत्र किये गये सैम्पल की दर	रू. 2500/– (दो हजार पांच सौ रूपये मात्र)

4– उक्त का उल्लंघन एपीडेमिक डिज़ीज एक्ट 1897 (यथा संशोधित) एवं उत्तर प्रदेश महामारी कोविड–19 विनियमावली–2020 के संगत प्राविधानों का उल्लंघन माना जाएगा।

संलग्नक–यथोक्त।

अमित मोहन प्रसाद,
अपर मुख्य सचिव।

संख्या–1298(1)/पाँच–5–2020 तद्दिनांक
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0
2. निजी सचिव, मा0 मंत्री, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0।

p U.O com 3

–2–

3. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0
4. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
5. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ।
6. निदेशक, संचारी रोग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
7. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0।
8. समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, उ0प्र0।
9. इण्डियन मेडिकल एसोशिएसन, उ0प्र0।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

18.06.2020

(शत्रुन्जय कुमार सिंह)

विशेष सचिव।

p U.O com 3

उत्तर प्रदेश शासन
चिकित्सा अनुभाग–5
संख्या–939 / पॉच–5–2020
लखनऊ दिनॉकः 23 अप्रैल, 2020

कार्यालय–ज्ञाप

भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आई0सी0एम0आर) द्वारा निजी क्षेत्र की प्रयोगशालाओं को कोविड–19 वायरस के परीक्षण की अनुमति प्रदान की गयी है। ऐसी प्रयोगशालायें जिन्हें आई0सी0एम0आर0 के द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया हो, इस टेस्ट को कर सकती है। आई0सी0एम0आर0 के द्वारा दो चरण में होने वाले परीक्षण हेतु अधिकतम दरों का निर्धारण किया गया है। प्रथम चरण (Screening) के लिए अधिकतम रू0 1500/– तथा आवश्यकता होने पर पुष्टि के लिए द्वितीय चरण की जांच हेतु अधिकतम रू0 3000/– निर्धारित किया गया है।

2– उपरोक्तानुसार यदि कोई व्यक्ति कोविड–19 के संक्रमण से ग्रस्त नहीं है एवं स्कीनिंग में इस तथ्य का संज्ञान हो जाता है तो उसे अपने परीक्षण के लिए अधिकतम रू0 1500/– मात्र व्यय करना होगा। यदि वह स्कीनिंग में धनात्मक है तथा पुष्टि हेतु द्वितीय चरण का परीक्षण करना आवश्यक हो तो उसे अपने परीक्षण पर निजी प्रयोगशाला में अधिकतम रू 4500/– व्यय करना होगा। यह व्यवस्था उन व्यक्तियों के लिए है, जो इस धनराशि का भुगतान करने में सक्षम हैं एवं इच्छुक भी हैं। यह व्यवस्था यथावत रहेगी।

3– आई0सी0एम0आर0 द्वारा कोविड–19 के परीक्षण हेतु अनुमति प्राप्त निजी प्रयोगशालाओं द्वारा एकल चरण (Single Step) वाली जांच किट के प्रयोग करने पर किसी व्यक्ति से अधिकतम कितनी धनराशि ली जा सकेगी, इसका निर्धारण नहीं किया गया है। एकल चरण वाली जांच में एक बार में ही संक्रमण की पुष्टि हो जाती है। इसके फलस्वरूप जो व्यक्ति संक्रमित नहीं हैं, उन सभी को रू0 4500/– की धनराशि का भुगतान करना पड़ रहा है, जो आई0सी0एम0आर0 द्वारा जारी गाइड लाइन के विपरीत है।

4– अतः सम्यक विचारोपरान्त एतद्द्वारा निजी क्षेत्र की प्रयोगशालाओं द्वारा कोरोना वायरस के संक्रमण की एकल चरण (Single Step) जांच हेतु अधिकतम धनराशि रू0 2500/– (दो हजार पांच सौ मात्र) निर्धारित की जाती है। निजी प्रयोगशालाओं को गुणवत्ता आडिट हेतु मांगे जाने पर नमूनों को चिकित्सा महाविद्यालय की रेफरल प्रयोगशाला हेतु उपलब्ध कराना होगा। परीक्षण के पश्चात् आई0सी0एम0आर0 के पोर्टल पर रिपोर्ट दर्ज करने के अतिरिक्त संबंधित जिले के मुख्य चिकित्साधिकारी एवं स्टेट सर्विलान्स अधिकारी को रिपोर्ट की एक प्रति उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। निजी प्रयोगशालाओं द्वारा उक्त जांच हेतु रू0 2500/– से अधिक धनराशि लिया जाना एवं अन्य उल्लिखित प्राविधानों का अनुपालन न करना एपीडेमिक डिज़ीज एक्ट 1897 (यथा संशोधित) एवं उत्तर प्रदेश महामारी कोविड–19 विनियमावली–2020 के संगत प्राविधानों का उल्लंघन माना जाएगा।

23.4.20

(अमित मोहन प्रसाद)
प्रमुख सचिव।

pankaj sir U.O com 3

-2-

संख्या–939 (1)/पाँच–5–2020 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0
2. निजी सचिव, मा0 मंत्री, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0।
3. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0
4. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
5. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ।
6. निदेशक, संचारी रोग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
7. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0।
8. समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, उ0प्र0।
9. इण्डियन मेडिकल एसोशिएसन, उ0प्र0।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(वेद प्रकाश राय)

अनु सचिव।

pankaj sir U.O com 3

उत्तर प्रदेश शासन
चिकित्सा अनुभाग–5
संख्या–967 / पॉच–5–2020
लखनऊ दिनॉकः 26 अप्रैल, 2020

स्पष्टीकरण

निजी क्षेत्र की प्रयोगशालाओं में कोरोना वायरस के संक्रमण की एकल चरण (Single Step) जांच हेतु कार्यालय ज्ञाप संख्या–939 / पांच–5–2020, दिनांक 23.04.2020 द्वारा अधिक़तम धनराशि रू0 2500 / – निर्धारित की गयी है। इस संबंध में प्राप्त विभिन्न सन्दर्भों के क्रम में यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त शासनादेश दिनांक 23.04.2020 में उल्लिखित अधिकतम धनराशि रू0 2500 / – की व्यवस्था केवल ऐसे रोगियों की कोविड–19 की जांच हेतु निर्धारित की गयी है जो राज्य सरकार के विहित प्राधिकारी द्वारा निजी क्षेत्र की प्रयोगशालाओं को सन्दर्भित किये जाएंगे।

कृपया तद्नुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

26.4.20
(अमित मोहन प्रसाद)
प्रमुख सचिव।

संख्या–967 (1) / पॉच–5–2020 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0
2. निजी सचिव, मा0 मंत्री, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0।
3. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0
4. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
5. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ।
6. निदेशक, संचारी रोग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
7. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0।
8. समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी / मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, उ0प्र0।
9. इण्डियन मेडिकल एसोशिएसन, उ0प्र0।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
26.4.20
(अमित मोहन प्रसाद)
प्रमुख सचिव।

pankaj sir U.O com 3